न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 69 / 17 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017 / 00184

उनवान

1. अवतार सिंह पुत्र हरनाम सिंह, कौम रायसिक्ख निवासी फूटाकी खौहरी तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. कृपाल सिंह } पिसरान मक्खन सिंह } जाति रायसिक्ख निवासी फूटाकी खौहरी
2. इकबाल सिंह } } नगर (भरतपुर)
3. प्यारोबाई पत्नी मक्खन सिंह }
4. स्वर्णकौर पुत्री मक्खन सिंह पत्नी योगेन्द्र सिंह, जाति रायसिक्ख निवासी हनुमान कौलोनी गोविन्दगढ जिला अलवर।
5. पालाकौर पुत्री मक्खन सिंह पत्नी सुक्खा सिंह जाति रायसिक्ख निवासी सहजपुर पोस्ट मालपुर तहसील रामगढ(अलवर)
6. सुंदराकौर पुत्री मक्खन सिंह पत्नी रघुवीर सिंह निवासी सैदमपुर पोस्ट न्याणा तहसील गोविन्दगढ (अलवर)
7. वीराबाई पत्नी अतर सिंह
8. जयपाल सिंह } पिसरान अतर सिंह जाति राय सिक्ख निवासी ग्राम फूटाकी खौहरी तह0 नगर
9. जसवंत सिंह } जिला भरतपुर।
10. बलविंदर सिंह }
11. श्रीमान् नायब तहसीलदार साहब / सब रजिस्टर सीकरी प्रतिनिधि राज0 सरकार।
12. सुच्चा सिंह पुत्र जग्गा सिंह } जाति राय सिक्ख निवासी फूटाकी तह0 नगर जिला भरतपुर।
13. प्यारो बाई पत्नी मक्खन सिंह }
14. मौजखॉ पुत्र छोटे खॉ } जाति मेव निवासी फूटाकी खोहरी तह0 नगर जिला भरतपुर।
15. जमीन पुत्र निवाज खॉ }
16. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बेरूं जरिये मैनेजर।

..... रेस्पोडेण्ट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय न्याया0 सहायक कलक्टर, नगर दि0 17.05.2017 प्र.सं. 658 / 13 उनवानी अवतार सिंह बनाम मक्खन सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री अनिल कुमार गुप्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 13.03.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर के निर्णय दिनांक 17.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण पेश कर, विवादित आराजी खसरा नम्बर 3575 रकवा 2.08 है0 के 98 है0 वाके ग्राम फूटाकी खौहरी तहसील नगर पर काबिज बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण के गलत रूप से अंकित नाम को कलमजन किये जाने व जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से वादी/अपीलाण्ट के दावा विड्रा करने की प्रार्थनानुसार, दावा विड्रा करने की आज्ञा पारित की गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आज्ञा योग्य अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। कैम्प कोर्ट में अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रा करने दावा पेश नहीं किया है। कैम्प कोर्ट में अपीलाण्ट से खाली आर्डर शीट पर हस्ताक्षर कराकर बाद में दावा विड्रा करने का निर्णय पारित कर दिया है। अपीलाण्ट ने जिस दादरसी से दावा किया है यदि वह दादरसी ही अपीलाण्ट को प्राप्त नहीं होगी तो अपीलाण्ट दावा विड्रा क्यों करेगा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दावे का अवलोकन किये निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2006(2) पेज 1112, आरआरटी 2003(1) पेज 687, आरआरडी 2005 पेज 26 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारो की सहमति से अपीलाधीन आदेश पारित हुआ है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि राजीनामा/सहमति के आधार पर पारित आदेश की अपील पोषणीय नहीं है। अपने तर्को

के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2001(1) पेज 505 का हवाला देते हुये अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवदेन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पक्षकारो की सहमति एवं वादी/अपीलाण्ट द्वारा दावा नहीं चलाने की प्रार्थना के आधार पर, दावा विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। चूंकि अपीलाधीन आदेश पक्षकारो की सहमति से पारित हुआ है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने किसी समझौते में वर्णित शर्तो के आधार पर या समझौता रिकार्ड करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया है वरन् सहमति का उल्लेख करते हुये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद को वापस लेने का आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती। इस संदर्भ में आदेश 23 नियम 3 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि सहमति/राजीनामा को कोई पक्षकार चेलेन्ज करता है तो इसके बारे में उसी कोर्ट को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अपीलाण्ट/वादी यदि चाहे तो आदेश 23 नियम 3 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर के समक्ष सहमति नहीं होने या उसके चेलेन्ज करने के बारे में अन्य तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये, सहायक कलक्टर, नगर के अपीलाधीन आदेश को पुनः खोले जाने पर पुनर्विचार किये जाने का प्रार्थना कर सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर के निर्णय दिनांक 17.05.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश नारायण मथुरिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर